

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या..14/2022

तहसीलदार शाहपुरा

बनाम

सुवा वगैरह

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 19.10.2022

विशेष तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक आरए/2022/ 568 दिनांक 29.6.2022 के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 729 रकबा 0.61 है0, में से 0.0280 है0, ख0नं0 728 रकबा 1.67 में से 0.04 है0, ख0नं0 732 रकबा 1.60 है0 मे से 0.0190 है0, ख0नं0 1263/739 रकबा 0.265 है0 सम्पूर्ण, ख0नं0 1266/741 रकबा 0.0450 है0 सम्पूर्ण ख0नं0 746 रकबा 0.64 है0 में से 0.0359 है0, ख0नं0 783/1 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण भूमि को मौके पर चालू आम रास्ता विद्यमान होने से मौके के अनुसार गार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त हुआ है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर कच्चा रास्ता चालू होना बताया है। प्रेषित प्रस्ताव में यह भी अंकन किया कि प्रश्नागत आराजी में मौके पर कच्चा एवं ग्रेवल सड़क बनी हुई है एवं रास्ता चालू है। इसे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है। प्रश्नागत आराजी के खातेदारों के द्वारा कोई आपत्ति/एतराज प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा व ग्राम पंच ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप चालू रास्ते का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू-राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप-6) भाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पाट्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा के खसरा 729 रकबा 0.61 है0, में से 0.0280 है0, ख0नं0 728 रकबा 1.67 है0 में से 0.04 है0, ख0नं0 732 रकबा 1.60 है0 मे से 0.0190 है0, ख0नं0 1263/739 रकबा 0.0265 है0 सम्पूर्ण, ख0नं0 1266/741 रकबा 0.0450 है0 सम्पूर्ण ख0नं0 746 रकबा 0.64 है0 में से 0.0359 है0, ख0नं0 783/1 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.03 है0 सम्पूर्ण भूमि निजी खातेदारी में से (मुताबिक नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में त्रुटि संशोधन की जावे।

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक : 20/10/22

क्रमांक:राजस्व/2022/ 506

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 . तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।
- 2 . रक्षित पत्रावली।

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर)